न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 179 / 2022

1 भरत सिंह पुत्र बीरबलराम
2 ज्ञाना देवी पत्नी भरत सिंह
जाति समस्त जाट निवासीगण किशोरपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.
।

अपीलांट

बनाम

1 हंसराम पुत्र जमनाराम जाति जाट निवासी किशोरपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
2 कमला देवी पत्नी रामचन्द्र
3 पारली पत्नी चन्दगीराम (फौत)
4 मुकेश कुमार पुत्र रामचन्द्र
5 महावीर सिंह पुत्र जमनाराम
6 राकेश कुमार पुत्र रामचन्द्र
7 रामनिवास पुत्र चन्दगीराम
8 लोकराम पुत्र चन्दगीराम
9 सतवीर पुत्र जगमाल
10 सुमन कुमारी पुत्री रामचन्द्र
जाति समस्त जाट निवासीगण किशोरपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राजस्थान।
11 लैण्ड होल्डर तहसीलदार चिड़ाव, तहसील चिड़ावा, जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
चिड़ावा मुकदमा उनवानी हंसराम बनाम भरत सिंह
वगै. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी. एक्ट
1955 मु.नं. 18/2021 निर्णय दिनांक 04.11.2022

उपस्थिति :

1. श्री संदीप बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजय सिंह बोरान, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः—29.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा 18/2021 में पारित निर्णय दिनांक 04.11.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायलाय में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर 247, 126 वाके ग्राम किशोरपुरा पटवार हल्का किशोरपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने धारा 251 आर.टी.एक्ट 1955 व राजस्थान काश्तकारी रूल्स 68 से 70 के प्रावधानों को नजर अंदाज कर निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त नियम 68 के मुताबिक प्रार्थना पत्र पेश नहीं किय। विचारण न्यायालय ने नियम 69 के मुताबिक जांच नहीं की है। कानून से नियम 68 के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी स्वयं या भू–अभिलेख निरीक्षक के स्तर के व्यक्ति से साईट इन्सपेक्शन करवायेगा ओर उसके बाद प्रभावित पक्षकारान से ऑब्जेक्शन इनवाइट करेगा। अपीलान्टस से विचारण न्यायालय ने तथाकथित भू–अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट पर ऑब्जेक्शन इनवाइट नहीं किये गये। तथाकथित मौका रिपोर्ट एकपक्षीय है। तथाकथित साइट इन्सपेक्शन करने से पूर्व अपीलान्टस को सूचित नहीं किया गया। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की है। अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया है। विचारण न्यायालय ने दिवानी प्रकिया संहिता व राजस्थान रेवेन्यु कोर्ट मैन्यूअल 1956 भाग द्वितीय के प्रावधानों की पालना ही की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बिना मांगा अनुतोष दिया गया है। कानून से प्लींडिग के बाहर जाकर और नया केस मेकआउट करने का अधिकार किसी भी अदालत को नहीं होता है। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 106 व 107 में से 10 फुट चोड़ा रास्ता कायम करवाने की इस्तदुआ चाही थी, जबकि न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश में 4 मीटर (13 फुट) चौड़ाई का रास्ता राजस्व रिकार्ड में कायम करने का आदेश पारित किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में जमीन खसरा नम्बर 106 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे व जमीन खसरा नम्बर 107 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से अपने खेत खसरा नम्बर 126 में आने जाने का कथन किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की प्लींडिग के मुताबिक विचारण न्यायालय ने साईट इन्सपेक्शन नहीं करवाया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 126 में जाने के लिए खेत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

खसरा नम्बर 105 की उत्तरी सीमा के पास से नजदीकी व वैकल्पिक रास्ता मौजुद है जहां से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आना जाना रहा है व है। अपीलान्टस के खेत खसरा नम्बर 106 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे व खेत खसरा नम्बर 107 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खेत में जाने का कभी कोई रास्ता नहीं रहा व न है। भू–अभिलेख निरीक्षक ने मौका रिपोर्ट गलत प्रस्तुत की है। भू–अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट दिनांक 01.01.2022 अपूर्ण व अस्पष्ट है। भू अभिलेख निरीक्षक ने जा रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक विचारण न्यायालय ने मौके की रिपोर्ट नहीं मंगवाई थी। भू अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्तो के बाबत कोई रिपोर्ट नहीं की है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने अपूर्ण व अस्पष्ट मौका रिपोर्ट को तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की प्लींडिग के बाहर की मौका रिपोर्ट को सही मानकर निर्णय पारित किया है। न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर की लार्जर बेंच द्वारा मुकदमा उनवानी कैलाश बनाम रमेश आदि में आरबीजे 2017 पृष्ठ 299 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मौके की जांच तहसीलदार चिड़ावा ने नहीं की गई है न ही मौका रिपोर्ट तहसीलदार चिड़ावा द्वारा तैयार की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे (27) 2020 पेज 36, आरआरडी 1988 पेज 143, आरबीजे 2002(9) पेज 434, आरआरटी 2006(1) पेज 19, आरआरटी 2006(1) पेज 4 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम किशोरपुरा के खसरा नम्बर 126 के मौके पर खसरा नम्बर 126 में आवेदक हसराम पुत्र जमनाराम जाति जाट आवासीय मकानात बनाकर आबाद है। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 106, 107 से रास्ता चाहा गया है। जो कि निकटतम दूरी का रास्ता है। खसरा नम्बर 106 की खातेदारी ज्ञाना देवी पत्नी भरतसिंह जाति जाट एवं खसरा नम्बर 107 की खातेदारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भरत सिंह पुत्र बीरबल राम जाति जाट दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 106 में बिन्दु ए सी बी 80 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता जो 80 x 4 = 320 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 107 में 5 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता जो 5 x 5 = 25 वर्गमीटर कुल दूरी 345 वर्गमीटर का रास्ता की निकटतम दूरी है। खसरा नम्बर 126 में जाने हेतु व सिंचाई के साधन ले जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। तहसीलदार चिड़ावा की रिपोर्ट एवं पत्रावली के संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार सबसे निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 106 व 107 में से है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम किशोरपुरा के खसरा नम्बर 126 के मौके पर खसरा नम्बर 126 में आवेदक हसराम पुत्र जमनाराम जाति जाट आवासीय मकानात बनाकर आबाद है। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 106, 107 से रास्ता चाहा गया है। जो कि निकटतम दूरी का रास्ता है। खसरा नम्बर 106 की खातेदारी ज्ञाना देवी पत्नी भरतसिंह जाति जाट एवं खसरा नम्बर 107 की खातेदारी भरत सिंह पुत्र बीरबल राम जाति जाट दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 106 में बिन्दु ए सी बी 80 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता जो 80 x 4 = 320 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 107 में 5 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता जो 5 x 5 = 25 वर्गमीटर कुल दूरी 345 वर्गमीटर का रास्ता की निकटतम दूरी है। खसरा नम्बर 126 में जाने हेतु व सिंचाई के साधन ले जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। तहसीलदार चिड़ावा की रिपोर्ट एवं पत्रावली के संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार सबसे निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 106 व 107 में से है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर